भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2817
दिनांक 18 मार्च, 2025 / 27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली के लिए आपदा प्रबंधन योजना

†2817. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आए भूकंप को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लिए आपदा प्रबंधन योजना की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली आपदा प्रबंधन योजना ने भीड़भाड़ वाली आवासीय कॉलोनियों के लिए निकासी और आपदा जोखिम को कम करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने अपनी तैयारी को बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार, जहां भी आवश्यक हो, गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं और राज्य संसाधनों की क्षमता से परे के मामलों में लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करके, राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक करती है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 23 (2) के अनुसार, राज्य कार्यकारी समिति स्थानीय प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने के बाद तथा राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य की आपदा प्रबंधन योजना (योजना) तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 22 (2) (ण) के अनुसार, राज्य कार्यकारी समिति को राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया योजनाओं को निर्धारित करने, समीक्षा करने और अद्यतन करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2817, दिनांक 18.03.2025

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा वर्ष 2016 में जारी की गई तथा वर्ष 2019 में संशोधित की गई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) तैयार करने की सुविधा प्रदान करती है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) तैयार की है, जिसमें भूकंप कार्य योजना सहित शहर में किसी भी आपदा के मामले में आपदा तैयारी और रेसपॉनस के प्रावधान हैं। डीडीएमपी https://ddma.delhi.gov.in/ddma/ddma-plan-home वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, डीडीएमए ने यह भी सूचित किया है कि 17.02.2025 को 4.0 परिमाण के दिल्ली भूकंप के मद्देनजर, 12.03.2025 को एनडीएमए के साथ माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा एक समीक्षा बैठक की गई है। एजेंडे में दिल्ली की भेद्यता और जोखिम मूल्यांकन और भूकंप तैयारी योजना शामिल थी। एनडीएमए ने भूकंप तैयारी योजना के टर्म्स ऑफ रेफ्रन्स प्रस्तुत कीं।

(ङ) चल रही गतिविधियों के अनुरूप, दिल्ली में की गई कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां और क्षमता निर्माण के उपाय निम्नानुसार हैं: -

1. एनडीएमए, उनकी भेद्यता प्रोफ़ाइल के अनुसार, विभिन्न खतरों पर बहु-राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास करने के लिए, दिल्ली सहित राज्यों को सक्रिय रूप से सुविधा प्रदान कर रहा है।

2. एनडीएमए ने दिल्ली के लिए निम्नलिखित टेबल टॉप अभ्यास और मॉक अभ्यास किए हैं:-

क्रम सं.	दिनांक	आपदा का नाम
क	15, 28 से 30 जून 2017	भूकंप का परिदृश्य
ख	12, 27-28 जून 2019	भूकंप (बहु राज्य मॉक अभ्यास)
ग	20 अगस्त 2020	भूकंप का परिदृश्य (टेबल टॉप अभ्यास)
घ	22-24 मार्च 2023	भूकंप (बहु राज्य टेबल टॉप अभ्यास)

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2817, दिनांक 18.03.2025

3. हाल ही में 17.02.2025 को दिल्ली के भूकंप के बाद, चल रही जागरूकता सृजन गतिविधियों के अलावा, एनडीएमए द्वारा निम्नलिखित भी किया गया है:

i) एनडीएमए- 'आपदा का समाना' का टीवी पैनल चर्चा कार्यक्रम क्रमशः 2 मार्च 2025 और 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर दूरदर्शन टीवी नेटवर्क के माध्यम से दर्ज और प्रसारित किया गया था;

ii) एनडीएमए ने मार्च 2025 में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में स्ट्रीट नाटकों (नुक्कड़ नाटक) की एक श्रृंखला शुरू की है;

iii) भूकंप पर विभिन्न अपडेट और क्रिएटिव, एनडीएमए के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए हैं।

******